

भारत जोड़ो यात्रा का झालावाड़ में तीसरा दिन

खेल संकुल से निकली यात्रा, आज कोटा जिले में प्रवेश करेगी

झालावाड़, 6 दिसम्बर (निर्स)। भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को दूसरे दिन झालावाड़ के खेल संकुल से शुरू हुई जो मेडिकल कॉलेज, मामा भांजा चौराहा से कोटा रोड स्थित देवरी घाटा पहुंची। देवरी घाटा में दोपहर के लंच बाद तीन किलोमीटर आगे कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा क्षेत्र के सुकेत से यात्रा शुरू हुई और 9 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद हीरिया खेड़ी पहुंची। यहां से भी 17 किलोमीटर आगे खेल मैदान मोरू कला में रात्रि विश्राम हुआ।

झालावाड़ शहर में अल सुबह ही लोग राहुल गांधी की यात्रा को देखने के लिए सड़कों के आसपास जमा होने लग गए। जहां-जहां से यात्रा गुजरी वहीं हर चौराहे और सड़कों पर राहुल गांधी और उनकी यात्रा को देखने के लिए भीड़ जमा थी। शहर में लोगों द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। वहीं कोटा रोड स्थित केजीएन नर्सिंग कॉलेज के सामने कॉलेज

■ झालावाड़ में यात्रा जब दुष्यंत सिंह के कार्यालय और भाजपा कार्यालय के बाहर से गुजरी तो राहुल गांधी ने वहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

संचालक सलीम खान ने राहुल गांधी और यात्रा का स्वागत किया, इस दौरान बाइडर से आए कलाकारों ने 'केसरिया बालम आबो पधारो म्हारे देस' लोक गीत गाकर राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में सलीम खान के अलावा राजेंद्र सिंह शाहनवाज खान, सोहेल खान, कांग्रेस नेता अरबाज खान, फराज खान शामिल थे।

खेल संकुल से रवाना होकर यात्रा झालावाड़ में कोटा रोड पर स्थित भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय के आगे से गुजरी तो सांसद दुष्यंत सिंह के कार्यालय की छत पर भाजपा कार्यकर्ता खड़े थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को

फ्लाइंग किस दिया। जब यात्रा भाजपा कार्यालय के बाहर से यात्रा गुजरी तो राहुल गांधी ने पहले हाथ हिलाया और उसके बाद कार्यकर्ताओं की ओर फ्लाइंग किस दिया। राहुल गांधी ने अपने साथ चल रहे सचिन पायलट और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को भी अभिवादन करने के लिए कहा, इसके बाद दोनों नेताओं भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला वाला सहित प्रदेश के कई मंत्री और विधायक भी साथ चले।

मंत्री विधायकों को राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा लगाव नहीं

अधिकांश मंत्री- विधायक यात्रा की अगवानी करने के बाद अगले दिन ही वापस लौट गए, भीड़ के मामले में भी बहुत ज्यादा सफल नहीं दिखे शुरुआती 2 दिन

जयपुर, 6 दिसम्बर (का.प्र.)। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सबसे सफल यात्रा के तौर पर निकालने की बातें हो रही थी, लेकिन यात्रा के दूसरे दिन ही लगने लगा है कि यात्रा को लेकर राजस्थान के नेताओं में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। राजस्थान के अधिकांश मंत्री और विधायक 2 दिन से यात्रा के दौरान नदारद दिख रहे हैं। जो मंत्री विधायक यात्रा की अगवानी के लिए आए थे वे भी वापस लौट चुके हैं। कुछ एक मंत्री और विधायकों को छोड़ दें, तो अधिकांश मंत्री - विधायक नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में लगातार बने हुए हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे अपने काफिले के आगे पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि इस कवायद के पीछे कारण यह है कि वह नहीं चाहते कि दूसरे पक्ष के विधायक या आम आदमी राहुल गांधी तक ज्यादा पहुंच बना पाए।

दूसरी ओर सचिन पायलट

अधिकांश समय राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कभी पैदल तो कभी काफिले के साथ आगे जाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं।

यात्रा में पहले दिन कुछ विधायकों को तबज्जो मिली थी, तो कुछ फुटकर मिली थी। वहीं दूसरे दिन चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को बुलाकर राहुल गांधी ने चर्चा की। बताया जाता है कि वेद प्रकाश सोलंकी ने एससी - एसटी से जुड़े मुद्दों के साथ ही अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बात की। इस दौरान राहुल गांधी और वेद प्रकाश सोलंकी करीब 6 - 7 मिनट तक लगातार बातचीत करते रहे। जिस समय सोलंकी बात कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी के एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चाल रहे थी। वेद सोलंकी को सचिन पायलट कैप का सबसे मुश्किल विधायक माना जाता है। अन्य विधायकों की बात करें, तो जोधपुर

■ यात्रा के दौरान झालावाड़ में भाजपा कार्यालय से युवकों ने लगाए मोदी के नारे, तो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर किया अभिवादन।

■ सचिन पायलट जहां यात्रा में लगातार पैदल चल रहे हैं, वहीं, मुख्यमंत्री गहलोत कुछ पैदल, तो कुछ काफिले के साथ कार में सफर कर रहे हैं।

■ दूसरे दिन राहुल गांधी ने विधायक वेद सोलंकी को बुलाकर लंबी चर्चा की।

संभाग से जहां दिव्या मेदेरणा मध्य प्रदेश से ही यात्रा के साथ बनी हुई हैं, वहीं संभाग के दूसरे विधायक मदन प्रजापत नंगे पांव लगातार यात्रा में चल रहे हैं।

इधर राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन कोटा के हीरिया खेड़ी में पूरी हुई।

शाम करीब छह बजे 22.5 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। यहां से आगे राहुल गांधी गाड़ियों से दरा के मोरू

कला पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।

सुबह यात्रा की शुरुआत में झालावाड़ में राहुल गांधी मुख्य चौराहे से निकल कर जा रहे थे। उसके बाद भाजपा कार्यालय तथा सांसद दुष्यंत सिंह के निजी कार्यालय के सामने से निकले, उसी दौरान वहां छत पर खड़े कुछ युवकों ने मोदी - मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन राहुल गांधी

इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और जो युवा नारे लगा रहे थे, उनकी तरफ फ्लाइंग किस करते हुए उनका अभिवादन भी किया।

यात्रा के दौरान एक छोटी सी दुर्घटना हुई और यात्रा का कवरज करने के लिए उड़ाए गए ड्रोन कैमरा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के कंधे पर गिर गया, जिससे उन्हें हल्की चोट लगी। इसके कारण खाचरियावास को यात्रा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। खाचरियावास को यह चोट उसी कंधे पर आई है जिसका कुछ समय पूर्व उन्होंने ऑपरेशन कराया था। इससे पहले मंगलवार सुबह यात्रा के पहले फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा ने सारी हदें पार कर दीं। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने रोड शो में भाजपा का प्रचार किया।

डॉ. पूनिया का ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) अपराधों की आग में झुलस रहा है, आज 8 लाख 31 हजार मुकदमे इसकी बागनी है, महिलाओं के प्रति सर्वाधिक 37 प्रतिशत अपराध, 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 38 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध पर प्रकाश है। प्रतिदिन प्रदेश में औसतन 17 बलात्कार और 7 हत्याएं होती हैं, यह राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या वो प्रदेश की महिलाओं के लिए लड़ने के लिए आएंगी, 1 लाख 50 हजार से ज्यादा मुकदमे महिलाओं के अपराधों के प्रति दर्ज हुए हैं, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की 26 हजार से ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

मेरा आज राहुल गांधी से दूसरा सवाल है, भले ही वह राजनीतिक पटपटन के लिए आए हैं, लेकिन कम से कम अपने कांग्रेस शासन की सरकार की सुध तो लेते, राजस्थान की जनता को अपराधों से मुक्ति कब दिलाएंगी, महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और बच्चियों को न्याय कब दिलाएंगी।

सोनिया गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) रंधावा पंजाब से हैं और उन्हें एक कठोर एवं सीधी बात करने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। केटन अमरिन्दर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। पूरा कहते हैं कि रंधावा पार्टी हाईकमान के आदमी हैं। इसके साथ ही सूचों का कहना है कि सचिन पायलट का पक्ष लेने के कारण गहलोत ने अजय माकन को निशाना बनाया था। अब एक निष्पक्ष बात करने के लिए रंधावा को लाया गया है। राजस्थान में कांग्रेस के नए प्रभारी महासचिव आश शम जयपुर आ रहे हैं, और उनके राहुल गांधी की यात्रा में कल शामिल होने की उम्मीद है। जब वे राहुल गांधी के साथ चल रहे होंगे तो राजस्थान पर अतिवाच्य रूप से चर्चा हो सकती है। लम्बे समय से लम्बित यह निर्णय एक खुले धाव की भांति सड़ रहा है क्योंकि नेतृत्व राजस्थान के लिए कुछ तय नहीं कर पा रहा। लेकिन यात्रा के राजस्थान से गुजर जाने के बाद उम्मीद है कि राजस्थान को कोई समाधान पसन्द आएगा।

कांग्रेस विधायकों ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) देकर 91 विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद भी स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ इसके लिए जांच की जा सकती है कि इस्तीफा स्वीकृत और जेन्डरुन है या नहीं। याचिका में यह भी कहा गया कि यह अंशपूर्ण है कि इतनी बड़ी संख्या में विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों।

विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। इसके बावजूद भी इस्तीफा देने वाले मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद सहित अन्य सरकारी बैठकों में शामिल हो रहे

हैं। याचिका में गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्पीकर के समक्ष बसपा से तल बदल कर कांग्रेस में आए विधायकों का मामला लंबित है। ऐसे में उन्हें अदेशा है कि इन विधायकों के इस्तीफों पर भी स्पीकर निर्णय नहीं करेंगे। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडागट ने स्पीकर और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने को चुनौती देने वाली इस याचिका की दुष्प्रतिष्ठा अधिवक्ता हेमंत नाहटा की ओर से की गई। वहीं सुनवाई के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपना पक्ष स्वयं रखा। एक अधिवक्ता की तरह पैरवी करने पर कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उन्हें अपनाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकार अब तक संतुलित रूख अपनाया

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) दशक में, भाषाई आधार पर हुये राज्यों के पुनर्गठन के दौरान, यह नगर कर्नाटक को दे दिया गया था। "कर्नाटक रक्षण वेदिके" से सम्बद्ध प्रदर्शनकारी एकाएक हिंसा पर उतर आये क्योंकि बेलागावी विवाद अन्दर ही अन्दर गहलवा रहा था। आग में घी डालने का काम करते हुये, कर्नाटक भी महाराष्ट्र के कुछ गाँवों पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है।

प्रसंगवश बता दे कि महाराष्ट्र के विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोलते हुये कहा कि भाजपा ही इस विवाद को इस स्थिति तक लाई है क्योंकि दोनों ही राज्यों में, वह सत्ता पर काबिज है। वरिष्ठ एन.सी.पी. नेता शरद पवार ने भाजपा तथा महाराष्ट्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुये कहा, "आगर महाराष्ट्र की बसें और ट्रकों पर हमले नहीं रुकें, तो उन्हें (एन.सी.पी.) को कोई अलग रूख अपनाना पड़ेगा। पूर्ववर्ती गठबन्धन सरकार अब तक संतुलित रूख अपनाया

अपनाती आ रही थी।" एक टवीट में, महाराष्ट्र के इस दिग्गज नेता ने कहा कि अगर आगे कुछ भी होता है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई जिम्मेवार ठहराये जायेंगे। अगर हमले नहीं रुकें तो वे स्वयं बेलगाँव जायेंगे। पवार ने दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वे साथ-साथ बैठकर, इस मुद्दे का समाधान तलाशें।

मंगलवार को, महाराष्ट्र ने एक कदम पीछे हटाते हुये, अपने उन दो मंत्रियों को रोक लिया, जो विवादित स्थल पर जाने वाले थे क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मंत्रियों के दौरे से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। जहाँ व्यावसायिक स्तर पर ये सब कदम उठाये जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, सर्वोच्च न्यायालय भी इसी विषय से सम्बन्धित दायर की जा चुकी एक याचिका पर विचार कर रहा है।

वस्तुत: महाराष्ट्र के साथ चल रहे विवाद को लेकर, बेलागावी में हिंसा उस

समय भड़की जब कन्नड़-इंडा लहरा रहे एक विद्यार्थी पर कुछ मराठी छात्रों ने हमला बोल दिया था।

16 दिसम्बर...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) बीसीआई के तीन अक्टूबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी। बीसीआई ने तीन अक्टूबर को आदेश जारी कर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य अधिवक्ता संगठनों के चुनावों को आगामी आदेश तक रोक दिया था। एकलपिठ ने बी.सी.आई. के इस आदेश की क्रियान्विति पर स्टे लगा दिया था। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि बीसीआई के समक्ष कोई वोट लिस्ट ही नहीं थी। ऐसे में उनकी ओर से चुनाव पर रोक लगाने का आदेश देना गलत था। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।

राहुल गांधी की...

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष) चल रहे हैं, उनसे क्यों बात कर रहे हैं? स्वरा बातचीत में, वे उन मुद्दों को उठाती रहें, जिन्होंने दूसरी और तीसरी श्रणियों को बहुत आहत किया है। वस्तुत:, ऐसा प्रतीत हुआ है, मानो स्वरा उस व्यापक भारतीय पुनर्जागरण को स्वर दे रही हों, जिसकी गति मंद भले ही हो, जो लगातार हो रहा है।

स्वरा भास्कर, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के खुले वातावरण में पली-बड़ी हैं, को उनकी फिल्म "माधोलाल कोप वाकिंग" से प्रसिद्धि मिली। ज्ञातव्य है कि स्वरा की माँ जे.एन.यू. में शिक्षिका थीं।

लेकिन स्वरा अब भी उसी चीज को कह रही हैं: "चलते रहो"। अब माधोलाल "राहुल गांधी" में बदल गया है, और इस बात पर जोर देने के लिये, वे राहुल के साथ पैदल चलीं। और जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, उन्हें उनका "पारिश्रमिक" मिल गया है। ओ-उन्होंने कहा, "और जहाँ तक भाजपा का संबंध है, उसके अधिकांश लोग चोर झूठे हैं।"

(प्रथम पृष्ठ का श्रेष)

यह भी ज्ञातव्य है कि कोटा, शांति धारीवाल का निर्वाचन क्षेत्र है, जिनका अजय माकन द्वारा तैयारी की गई अनुशासनहीनता की रिपोर्ट में नाम है और जिनके खिलाफ अग्रशासनात्मक कार्यवाई की सिफारिश की गई है। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि यात्रा ना तो कोटा में रुकेगी और ना ही लंच या किसी अन्य चीज के लिए इसका वहां ठहराव होगा। यात्रा कोटा में बिना किसी विश्राम के जारी रहेगी, यात्रा का पड़ाव कोटा के बाहर ही होगा। कार्यक्रम में यह बदलाव आज ही हुआ है।

सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान या चाय के लिए रुकने के चक भी गहलोत से बातचीत नहीं कर रहे हैं। समझा जाता है कि वे (राहुल) साफ तौर पर उनकी (गहलोत) उपेक्षा कर रहे हैं।

किन्तु कल राहुल गांधी उस समय अशोक गहलोत पर भड़क गये, जब पूरे यात्रा स्थल पर खाकी यूनिफॉर्म में बड़ी

पायलट के उत्साही ...

■ पर यह भी सच है कि, मंगलवार को यात्रा के दौरान ज्यादा भीड़ नहीं थी। क्या यह जानबूझकर किया गया था, तथा पायलट विरोधी साजिश में व्यस्त यु.मंत्री के खेमे को भीड़ जुटाने की फुर्सत नहीं मिली। क्योंकि, जहां से यात्रा गुजर रही है, उसके अगल-बगल के दो जिलों के प्रभारियों को भीड़ लाने की जिम्मेवारी दी गई थी।

संख्या में पुलिस दिखाई दी। गहलोत की तरफ मुड़कर, राहुल गांधी ने कहा कि इतनी सारी पुलिस को हटाओ, वरना मैं घर लौट जाऊंगा।

इसके बाद, वंदीधारी पुलिस तो हटा दी गई लेकिन उसके स्थान पर सामान्य वस्त्र पहने पुलिस कर्मी आ गये।

आज की यात्रा इस अर्थ में निराशाजनक रही कि यात्रा स्थल पर आम लोग बहुत ही कम संख्या में थे तथा उनके स्थान सरकारी मशीनरी, कोर्रस कार्यकर्ता, यात्री एवं पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह भीड़ उस राज्य के अनुरूप नहीं कही जा सकती,

जहां कांग्रेस का शासन हो। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि या तो अशोक गहलोत जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी का शो फीका रहे, या फिर उन्होंने भीड़ जुटाने के लिये कोई प्रयास ही नहीं किये हैं क्योंकि मूल योजना के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया था कि रोजाना की भीड़ को लाने की व्यवस्था दो पड़ोसी जिलों के नेता करेंगे। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर आप अपनी ऊर्जा सचिन पायलट को नीचे लाने में लगा देंगे, तो कुछ सकारात्मक करने का समय और गुंजाइश ही कहां रहेगी।

सरकार, डिस्कॉम व विद्युत नियमन आयोग की मिलीभगत से सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर्स को न्याय नहीं मिल रहा

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 6 दिसम्बर। राजस्थान हाईकोर्ट में आज रिज्यूबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आर.ई.सी.) मकैनिज्म के तहत सौर तथा पवन ऊर्जा में निवेश करने वाले निवेशकों की ओर से दायर करीब 108 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जैसा कि विदित है कि इस मामले में 1 अप्रैल 2019 से याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित सौर और पवन ऊर्जा के प्लॉट से बिजली उत्पादित की जा रही है और राज्य सरकार के डिस्कॉम को भी दी जा रही है, परंतु इन्हें बिजली उत्पादन के लिये डिस्कॉम द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं को फैसेल से कल भी अधिवक्ता संदीप तनेजा, सुकृति कासलीवाल और पुनीत सिंघवी बहस करेगे।

इस मामले में लागूग डेढ़ महीने बाद पुनः सुनवाई शुरू की गई है क्योंकि न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव के परिचार में निधन होने के कारण वे मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। आज सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रवि चिनारिया, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) और अन्य प्राइवेट पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे थे, ने अपनी बहस पूर्ण की। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ता रवि चिनारिया से यह कहा कि सरकार के

हाई कोर्ट में आर.ई.सी. मकैनिज्म के तहत बने सोलर ऊर्जा उत्पादकों के अधिवक्ता ने कहा कि, इस मिलीभगत का प्रमाण है कि, तीनों (सरकार, डिस्कॉम तथा आयोग) जवाब में एक ही भाषा में एक ही तर्क प्रस्तुत करते हैं

■ अधिवक्ता रवि चिनारिया का कहना है कि, 5 मार्च 2019 को आयोग ने यह तर्क दिया कि, आर.ई.सी. मकैनिज्म के तहत निर्मित प्लांट से मिल रही बिजली की दरें 3.14 रुपये प्रति यूनिट पर सीमित करी जाती हैं, जिस पर डिस्कॉम ने भी अपनी रजामंदी दिखाई थी और याचिकाकर्ताओं से अपडेटेड किंग भी ली थी। परंतु लगभग चार साल बाद भी डिस्कॉम ने बिजली खरीदने के लिए पी.पी.ए. हस्ताक्षरित नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं को बिजली उत्पादन के लिए भुगतान भी नहीं किया गया है।

के लिये उपभोक्ताओं को बेचती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 तक राजस्थान एक "एनर्जी डेफिसिट" स्टेट था। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार का कहना है कि उसे औपमार्केट में वर्ष 2019 में करीब 2.85 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें मिल रही हैं, परंतु आज की तारीख में रिहाइशी उपयोग के लिये औपमार्केट में वर्ष 3.50-4 रुपये प्रति यूनिट मिलती हैं, और यही बिजली राज्य सरकार 5-5.30 रुपये की दर पर रिहाइशी उपयोग

के लिये उपभोक्ताओं को बेचती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 तक राजस्थान एक "एनर्जी डेफिसिट" स्टेट था। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार का कहना है कि उसे औपमार्केट में वर्ष 2019 में करीब 2.85 रुपये प्रति यूनिट तक की दरें मिल रही हैं, परंतु आज की तारीख में रिहाइशी उपयोग के लिये औपमार्केट में वर्ष 3.50-4 रुपये प्रति यूनिट मिलती हैं, और यही बिजली राज्य सरकार 5-5.30 रुपये की दर पर रिहाइशी उपयोग

बिजली की दरें यह निर्धारित नहीं कर रही हैं कि उपभोक्ताओं को इसका कितना लाभ मिलेगा। डिस्कॉम में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार ही महंगी दरों का कारण हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार वर्ष से डिस्कॉम ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं को एक रुपये का भुगतान भी नहीं किया है और उन्हें आज भी बिजली मिल रही है जिसे वे अन्य प्रदेशों की सरकार को बेच रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डिस्कॉम की मानौपाली बनाने के लिये राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के लिये "ओपन एक्सेस" की सुविधा को विफल करने के लिये कई नये नियम कायदे लागू किये हैं। पाठकों को बता दें कि उद्योगपति "ओपन एक्सेस" यानी सौर ऊर्जा का प्लांट बनाकर स्वयं के लिये बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, परंतु राज्य सरकार ने इस नीति को विफल करने के लिये "ओपन एक्सेस" प्लांटों पर भारी "जीलिंग चार्ज" (यानी सरकार के ग्रीड का इस्तेमाल करने के लिये भारी फिक्स चार्ज) लगा दिये हैं। रवि चिनारिया ने कहा, फिक्स चार्ज की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे प्रदेश में कोई भी केपिटल पावर प्लांट लगाना नहीं चाहता और दिल्ली में स्थित पावर एक्सचेंज से बिजली भी नहीं खरीदना चाहता।

उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष इस मामले में कई तथ्य ऐसे हैं जिसे साबित होता है कि राज्य सरकार और उसकी डिस्कॉम और विद्युत नियमन आयोग मिले हुए हैं और

इनकी मिलीभगत से ही 2019 से याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा उत्पादित उद्योगपतियों के लिये "ओपन एक्सेस" की सुविधा को विफल करने के लिये कई नये नियम कायदे लागू किये हैं। पाठकों को बता दें कि उद्योगपति "ओपन एक्सेस" यानी सौर ऊर्जा का प्लांट बनाकर स्वयं के लिये बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, परंतु राज्य सरकार ने इस नीति को विफल करने के लिये "ओपन एक्सेस" प्लांटों पर भारी "जीलिंग चार्ज" (यानी सरकार के ग्रीड का इस्तेमाल करने के लिये भारी फिक्स चार्ज) लगा दिये हैं। रवि चिनारिया ने कहा, फिक्स चार्ज की दरें बढ़ा दी हैं, जिससे प्रदेश में कोई भी केपिटल पावर प्लांट लगाना नहीं चाहता और दिल्ली में स्थित पावर एक्सचेंज से बिजली भी नहीं खरीदना चाहता।

उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष इस मामले में कई तथ्य ऐसे हैं जिसे साबित होता है कि राज्य सरकार और उसकी डिस्कॉम और विद्युत नियमन आयोग मिले हुए हैं और

रवि चिनारिया ने अदालत को कहा कि उनके मुक्किल ने आयोग के फैसले को मानते हुए सभी डिस्कॉम से "परचेज पावर एग्रीमेंट" (पी.पी.ए.) हस्ताक्षरित करने के लिये पत्र लिखा था और 29 मार्च 2019 को सभी डिस्कॉम को अंडर टेकिंग भी दे दी थी, परंतु जब नवम्बर 2019 तक डिस्कॉम से याचिकाकर्ताओं के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित नहीं किये तब उन्हें अदालत का दवावा खटखटाना ही पड़ा।

उन्होंने कहा कि उनके मुक्किल ने आयोग के समक्ष भी याचिका पेश की थी परंतु तब डिस्कॉम की तरफ से यह तथ्य छुपाया गया था कि वह उनके मुक्किलों के साथ पी.पी.ए. हस्ताक्षरित करना चाहते थे। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आयोग ने दरें सीमित करने से पहले इससे संबंधित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। उन्होंने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि डिस्कॉम और सरकार की तरफ से एक ही जवाब पेश किया गया है, परंतु हैरानी की बात है कि आयोग द्वारा प्रस्तुत जवाब सरकार व डिस्कॉम के जवाब से हूबहू मेल खाता है, जबकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो बिजली की दरें तय करता है और डिस्कॉम को बिजली खरीदने पर बाध्य भी कर सकता है।